नोटः— दिनांक 18.09.2024 को स्थानीय अवकाश होने से प्रकरण आज दिनांक को सुनवाई में लिया गया।

19.09.2024 राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में पूर्व पेशी दिनांक 18.03.2024 को जारी गिरफ्तारी वारंट तामील, अद्म तामील प्राप्त नहीं।

प्रकरण वर्ष 2015 से विचाराधीन है। आरोपी की उपस्थिति के लिए अनेक प्रयास किये जा चुके है। उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, जिससे प्रकरण की कार्यवाही में अनावश्यक विलंब हो रहा है।

उपरोक्त अनुसार न्यायालय को यह समाधान हो गया है, कि आरोपी की निकट भविष्य में गिरफ्तार होने की कोई संभावना नहीं है, और प्रकरण को अनिश्चितकाल के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता। तब ऐसी स्थिति में आरोपी को फरार घोषित करना उचित प्रतीत होता है।

अभियुक्त **श्याम सिंह दांगी पिता परसरामदांगी, निवासी— तिल्लौर बजुर्ग** को फरार घोषित किया जाता है।

अभियुक्त का स्थाई गिरफ्तारी वारंट 2—2 प्रतियों में बनाया जावे। वारंट की एक प्रति संबंधित थाने को तामिली हेतु भेजी जावे तथा एक प्रति प्रकरण के साथ संलग्न की जावे। साथ ही थाना प्रभारी को भेजे गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट पर यह टीप लगाई जावे कि थाना के स्थाई वारंट वाले रजिस्टर पर इंद्राज कर, इंद्राज नम्बर इस न्यायालय को उपलब्ध कराया जावे। उक्त नम्बर को न्यायालय के द्वारा संचालित स्थाई वारंट वाले रजिस्टर में इंद्राज किया जावे।

प्रकरण के शीर्ष पर लाल स्याही से अभियुक्त के फरार होने एवं प्रकरण को नष्ट न किये जाने की संबंध में टीप अंकित की जावें एवं प्रवर्तन लिपिक अभियुक्त का स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी करने संबंधित जावक क्रमांक/दिनांक अंकित कर हस्ताक्षरित करे।

प्रकरण सीआईएस से कम कर उसका परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण पर लाल स्याही से अभियुक्त के फरार होने तथा प्रकरण को सुरक्षित रखने की टीप लगाकर विधिवत समय में अभिलेखागार भेजा जावे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जावे।

SRISHTI AGNIHOTRI

Digitally signed by SRISHTI AGNIHOTRI
Date: 2024.09.20 12:13:51 +0530

सृष्टि अग्निहोत्री
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर म.प्र.

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09010122392015-orderno-1.pdf